न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 15/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 23.01.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023/44

वादी :—

1. रेखा देवी पत्नि ओमप्रकाश जी जाति मेघवाल निवासी हरिपुर, रायपुर तहसील रायपुर

// बनाम् //

प्रतिवादीगण :—

1. ओम प्रकाश पुत्र खंगारराम जी जाति मेघवाल निवासी हरिपुर, रायपुर तहसील रायपुर
2. मुकनाराम पुत्र रूगाराम जी फोत।

2.1 नेना बाई पुत्री मुकना राम पत्नि हरजी जाति मेघवाल निवासी गणेश पुरा ब्यावर
2.2 शान्ति पुत्री मुकना राम पत्नि हेरा जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा ब्यावर।
2.3 केशरी पुत्री मुकना राम पत्नि अन्ना जाति मेघवाल निवासी डोसला ब्यावर।

3. मालाराम पुत्र रूगाराम जी फोत।

3.1 हरजी पुत्र माला राम जाति मेघवाल निवासी मील गेट करबला मार्ग ब्यावर।
3.2 जफरू राम पुत्र माला राम जाति मेघवाल निवासी मील गेट करबला मार्ग ब्यावर।
3.3 रतनी पुत्री माला राम पत्नि पीरू जाति मेघवाल निवासी गहलोत कॉलानी ब्यावर।
3.4 पारू पुत्री माला पत्नि हजारी जाति मेघवाल निवासी कोटीया,राजीयावास ब्यावर।

4. तहसीलदार महोदय, रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भूपैन्द्र सेन अधिवक्ता वादी
2 प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 अनुपस्थित

निर्णय   दिनांकः 07.04.2025

वादी की ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सेन द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम गवाली बाडिया पटवार हल्का चिताड़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सेन्दडा तहसील रायपुर जिला पाली में खसरा नम्बर 1287 व 1369 का कुल रकबा 0.8764 हैक्टेयर भूमि आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीया का 1/8 हिस्से यानि 0.10955 हैक्टेयर भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग नही बंटी हुई है व कब्जा व काश्त है मगर वादीया व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा । वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 की की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे।उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त मुन मुताबिक करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीया के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीया की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादी को हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने मुनमुताबिक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है।

वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 31/8 हिस्से यानि 0.10955 हैक्टेयर भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीया का अलग सें कब्जा व काश्त है वादीया ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 24.11.2022 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है वादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्मव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। खसरा नम्बर 1287 व 1369 का कुल रकबा 0.8764 हैक्टेयर भूमि आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीया का 1/8 हिस्से यानि 0.10955 हैक्टेयर भूमि मौके पर वादी की भूमि बंटी हुई नही है वादीया के कब्जे काश्त अनुसार भूमि की नापचौक कर पत्थरगड्डी कर नेखमबन्दी करवायी जावे व भूमि मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी के हिस्से की भूमि का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे में बटटा नम्बर लगाकर अलग लाल रंग से ट्रेश नक्शे में तरमीम कर दर्शाया जावे लगान बांटा जावे, बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा किया जावे ऐसी तकास्मा आराजी की डिक्री व निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमावें। बाद तकास्मा वादी के हिस्से की भूमि वादपत्र के पद संख्या 01 मे वर्णित सरहद मौजा ग्राम गवाली बाडिया पटवार हल्का चिताड़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सेन्दडा तहसील रायपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण की अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1287 व 1369 का कुल रकबा 0.8764 हैक्टेयर भूमि आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीया का 1/8 हिस्से यानि 0.10955 हैक्टेयर भूमि जिस पर वादी मौके पर काबिज काश्त है में काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई बुवाई कटाई निराई गुडाई सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमें प्रतिवादीगण उनके बाल बच्चे नोकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार नातेदार आदि किसी प्रकार की दखल व दखलांदाजी एवं अडचन व्यवधान रोक टोक आदि स्वयं न तो करे न ही अन्य से करावे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा हमेशा के वास्ते रोका जावे व जब तक उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नही हो जाता तव तक प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि नही करे एवं वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करे तथा उक्त कृषि भूमि को खूर्द बुर्द नही करे, परिवर्तन नही करे, कच्चा पक्का निर्माण नही करे, मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् बनाये रखने बाबत् जरिये स्थाई नि धाज्ञा के रोका जावें। ऐसी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री व निर्णय बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण के सादिर फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहे है इन्हे पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित रहेने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली हों। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किये जाने हेतु सहमत हैं।

बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् अधिवक्तागण की सहमति से वादपत्र में बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी के आदेश दिये गये।

प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/2161 दिनांक 24.12..2024 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।जो संलग्न पत्रावली किया गया।

वादी अधिवक्ता ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं।

बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में मौजा गवाली बाडिया पटवार हल्का चिताड भू अभिलेख निरीक्षक सेन्दडा के खसरा नम्बर 1287 व 1369 का कुल रकबा 0.8764 हैक्टेयर में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix “d” –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

वादी :–

1. रेखा देवी पत्नि ओमप्रकाश जी जाति मेघवाल निवासी हरिपुर, रायपुर तहसील रायपुर

// बनाम् //

प्रतिवादीगण :–

1. ओम प्रकाश पुत्र खंगारराम जी जाति मेघवाल निवासी हरिपुर, रायपुर तहसील रायपुर
2. मुकनाराम पुत्र रूगाराम जी फोत।

2.1 नेना बाई पुत्री मुकना राम पत्नि हरजी जाति मेघवाल निवासी गणेश पुरा ब्यावर

2.2 शान्ति पुत्री मुकना राम पत्नि हेरा जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा ब्यावर।

2.3 केशरी पुत्री मुकना राम पत्नि अन्ना जाति मेघवाल निवासी डोसला ब्यावर।

3. मालाराम पुत्र रूगाराम जी फोत।

3.1 हरजी पुत्र माला राम जाति मेघवाल निवासी मील गेट करबला मार्ग ब्यावर।

3.2 जफरू राम पुत्र माला राम जाति मेघवाल निवासी मील गेट करबला मार्ग ब्यावर।

3.3 रतनी पुत्री माला राम पत्नि पीरू जाति मेघवाल निवासी गहलोत कॉलानी ब्यावर।

3.4 पारू पुत्री माला पत्नि हजारी जाति मेघवाल निवासी कोटीया,राजीयावास ब्यावर।

4. तहसीलदार महोदय, रायपुर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राज. टि.एक्ट वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भूपैन्द सैन वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में मौजा गवाली बाडिया पटवार हल्का चिताड भू अभिलेख निरीक्षक सेन्दडा के खसरा नम्बर 1287 व 1369 का कुल रकबा 0.8764 हैक्टेयर में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज...................... ....मुबलिक.............. ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....
....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.04.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	02	00	स्टाम्प वकालतनामा –	00	00
स्टाम्प वकालतनामा –	04	00	स्टाम्प हाजरी –		
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमि नर –		
फीस कमि नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा –	6	00	मुतफरिक –		
मुतफरिक –	12	00	मीजान	00	00
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।